Allocation of Sugar quota under PDS

5876. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether allocation of sugar quota under PDS is made on the basis of actual population as per 1991 census in the country;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government of Gujarat has requested to allocate sugar quota according to the actual population as per 1991 census in the State; and

(d) if so, the steps taken/proposed to be taken by Government to allocate the sugar quota for the next financial year 1995-96?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Under the present policy of partial control, monthly allocations of levy sugar to most of the States/UTs are being made on the basis of the projected population as on 1.10.1986.

In view of the decline in sugar production during the last two consecutive sugar seasons, i.e. 1992-93 & 1993-94, it has not been possible till yet to update the levy sugar allocations as per 1991 census.

(c) Government of Gujarat had requested for an allocation of 18,844 M.T. of levy sugar per month on the basis of the actual number of card-holders in 1994.

(d) This would depend upon the sugar production level likely to be achieved during the current sugar season 1994-95 & during the next season, 1995-96.

बी०आई०एस० द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों का पालन करने वाली चीनी मिलें

5877. **श्री अजीत जोगी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी चीनी मिलें भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों का पालन कर रही हैं;

(ख) इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाये हैं कि चीनी मिलें बी०आई०एस० द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप अपने उत्पादों संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करें?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में सभी चीनी फैक्ट्रियां सामान्यतः वैक्यूम पैन चीनी (प्लांटेशन व्हाइट) की ग्रेडिंग के लिए निर्धारित भारतीय चीनी मानक को मानती हैं। रिलीज आर्डर में यह उल्लिखित है कि केवल वही चीनी को इन विनिर्दिष्टियों का पालन करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से या खुली बिक्री चीनी कोटे के रूप में आपूर्ति के लिए रिलीज की जानी चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने चीनी उत्पादन हेतु भारत में वैक्यूम पैन चीनी फैक्ट्रियों के लिए भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) निर्धारित किए हैं। चीनी के लिए 3 ग्रेन आकार में 6 ग्रेड प्रचलन में हैं अर्थात् एल०एम० व एस० प्रत्येक ग्रेन आकार ग्रुप के दो रंग हैं अर्थात् 30 तथा 29, तदनुसार सफेद क्रिस्टल चीनी के नियत आई एस एस ग्रेड निम्न प्रकार हैं:—

आई एस एस ग्रेड—एल-30
आई एस एस ग्रेड—एल-29
आई एस एस ग्रेड—एम-30
आई एस एस ग्रेड—एम-29
आई एस एस ग्रेड—एस-30
आई एस एस ग्रेड—एस-29

जो चीनी ग्रेन आकार या रंग के संबंध में विनिर्दिष्ट अपेक्षा से कम की होती है वह "आई एस एस ग्रेड से कम" की ग्रेड की जाती है।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की गुणवत्ता को जांचने हेतु शर्करा निदेशालय, खाद्य मंत्रालय के निरीक्षण अधिकारी (शर्करा) चीनी फैक्ट्रियों से नमूने एकत्र करने के लिए समय-समय पर वहां जाते हैं। चीनी की गलत ग्रेडिंग से संबंधित अपराधों के लिए चीनी (पैकिंग एवं मार्किंग) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी चीनी फैक्ट्रियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।